

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 14/9/2021

क्रमांक/एफ 15-15/2021/10-2:: राज्य शासन एतद्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से मृत पाये गये वन्यप्राणियों के संबंध में दर्ज प्रकरण जिसमें अज्ञात अपराधी का पता लगा पाना संभव न हो या प्रकरणों की जांच में कोई अपराध कारित न होना पाया जाये तो ऐसे प्रकरणों को नस्तीबद्ध करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके प्रभार क्षेत्र में अधिकृत करता है:-

1. क्षेत्रीय वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
2. क्षेत्र संचालक, टाड़गर रिजर्व
3. संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

 14/9/2021
(पदमाप्रिया बालाकृष्णन)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग